राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2984/2024

चंद्र मोहन बैरवा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, लोक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, सचिवलाय, जयपुर, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.09.2024
आदेश की दिनांक : 07.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री तरूण जयमन, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी खंड विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति देवली, जिला टोंक कार्यरत था। आयुक्त, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर जो अपीलार्थी का अनुशासनात्मक प्राधिकारी नहीं था, ने राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अंतर्गत अपीलार्थी के खिलाफ आरोप–पत्र संख्या एफ 13 (62) आई–जेके–एफओ/जंच/स्था.–आई/एफओ–टीके–/देवली/2009/2438 दिनांक 03.12.2009 का ज्ञापन जारी किया और अपीलार्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की। अपीलार्थी ने उसके विरूद्ध लगाए गए आरोप का जवाब प्रस्तुत किया तथा अन्ततः सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान, जयपुर ने दण्ड आदेश दिनांक 22.11.2022 जारी कर अपीलार्थी को इस विभागीय जांच में निन्दा के दण्ड से दण्डित किया। यद्यपि सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान, जयपुर न तो अपीलार्थी के नियुक्ति प्राधिकारी थे और न ही वे अपीलार्थी के अनुशासनिक प्राधिकारी थे। अपीलार्थी का अनुशासनात्मक प्राधिकारी प्रमुख सचिव, पी.डब्ल्यू.डी. राजस्थान था। उक्त दण्ड आदेश दिनांक 22.11.2022 को

जारी करते समय राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत जयपुर में अपीलार्थी को दण्डित किया गया था, क्योंकि उस समय अपीलार्थी लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत था। अतः सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, राजस्थान, जयपुर ने अवैधानिक रूप से एवं बिना अधिकारिता के दण्ड आदेश दिनांक 22.11.2022 जारी कर अपीलार्थी को दण्डित किया था। इस दण्ड के लिए अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष रिट अपील संख्या 18301/2023 प्रस्तुत की है, जो निर्णय हेतु लम्बित है। (अनुलग्नक–1व 2) उप सचिव, कार्मिक विभाग (ए–3/जंच) राजस्थान, जयपुर ने दिनांक 21.12.2010 को ज्ञापन संख्या एफ1 (259) कार्मिक/ए–3/जंच/2009 आरोप–पत्र जारी किया तथा अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ की। इस जांच में प्रत्यर्थी संख्या 3 ने आयुक्त 1 विभागीय जांच को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया तथा नियुक्त जांच अधिकारी ने विस्तृत जांच की तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध नहीं पाया। अंत में अनुशासनात्मक प्राधिकारी प्रत्यर्थी संख्या 3 ने जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया तथा अपीलार्थी को दंडित किया तथा आदेश संख्या एफ (259) कार्मिक/ए–3/2009 दिनांक 13.05.2017 द्वारा ग्रेड प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि रोक दी। इस संबंध में अपीलार्थी ने एक अन्य रिट अपील संख्या 6330/2019 दायर की है जो माननीय न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है। (अनुलग्नक–3 व 4) आदेश दिनांक 06.04.2023 को लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिशासी अभियंताओं की वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई है, जिसमें अपीलार्थी को इस वरिष्ठता सूची में क्रमांक 41 पर रखा गया है, अपीलार्थी श्री पंकज आर्य से वरिष्ठ है, जिन्हें क्रमांक 48 पर रखा गया है तथा अजय कुमार आर्य को अनुसूचित जाति श्रेणी में क्रमांक 50 पर रखा गया है। अतः उपरोक्त सभी व्यक्ति अपीलार्थी से कनिष्ठ हैं, तथा उन्हें पी.डब्ल्यू.डी. राजस्थान द्वारा प्रकाशित वरिष्ठता सूची के अनुसार अपीलार्थी के विचार एवं पदोन्नति के पश्चात पदोन्नत किया जाना चाहिए। (अनुलग्नक–5) राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2023–24 के लिए अधिशासी अभियंता से अधीक्षण अभियंता की डी. पी.सी. आयोजित की गई है, जिसमें अपीलार्थी वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर अधिशासी अभियंता से अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति का हकदार था, क्योंकि उसे पी.डब्ल्यू.डी. अनुलग्नक–5 के अधिशासी अभियंताओं की वरिष्ठता सूची में क्रमांक 41 पर रखा गया है, लेकिन अपीलार्थी को वर्ष 2023–2024 की डी.पी.सी. में पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया और प्रत्यर्थी विभाग ने श्री अजय कुमार आर्य को पदोन्नत कर दिया है, जो वरिष्ठता सूची में क्रमांक 48 और 50 पर थे, हालांकि उन्हें कनिष्ठ पद पर पदोन्नत किया गया है। पी.डब्ल्यू.डी. राजस्थान द्वारा तैयार की गई

वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी के बराबर पदोन्नति दी गई है। प्रत्यर्थी विभाग ने वर्ष 2024–2025 की डी.पी.सी. बुलाई है, जिसमें अपीलकर्ता को फिर से पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया है और अपीलकर्ता से कनिष्ठ को लोक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा पदोन्नत किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 09.04.2023 को जारी की गई पदोन्नति सूची की एक प्रति माननीय न्यायाधिकरण के अवलोकनार्थ संलग्न है। (अनुलग्नक–6) प्रत्यर्थी विभाग को वर्ष 2023– 24 एवं वर्ष 2024–25 की डी.पी.सी. में पदोन्नत एवं विचारित नहीं किया गया है, अपीलार्थी को निन्दा का दण्ड दिया गया है तथा 2 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई है। कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी दिशा–निर्देश/परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के अनुसार। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इस परिपत्र को माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर द्वारा रिट अपील संख्या 20358/2018 रघुवीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य में दिनांक 07.05.2024 को निर्णय जारी कर निरस्त एवं अपास्त किया गया है, तथा विशेष रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि यदि सरकारी सेवक को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 14 के अन्तर्गत पदोन्नति रोकने एवं अन्य दण्ड के लिए दण्डित नहीं किया जाता है। अपीलार्थी मई–2025 में सेवानिवृत्त होने वाला है और यदि अपीलार्थी को अधीक्षण अभियंता के पद पर तुरन्त पदोन्नति नहीं दी गयी तो अपीलार्थी को अपूरणीय आर्थिक क्षति होगी। अपीलार्थी ने इस संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को दिनांक 04.06.2024 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने इस रिट अपील को दायर करने की तिथि तक इस अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया है। (अनुलग्नक–7)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को अधीक्षण अभियंता के पद पर अपीलार्थी से कनिष्ठ श्री पंकज आर्य से पहले पदोन्नत किया जावे।

हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन लम्बित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत अभ्यावेदन को राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना

अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य